रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 1970/आश्विन 9, 1892

No. 359] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 1970/ASVINA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October 1970

S.O. 3271.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Minerals and Ores—Group II (Inspection) Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Export of Minerals and Ores—Group II (Inspection) Amendment Rules, 1970.

2. In rule 7 of the Export of Minerals and Ores—Group II (Inspection) Rules, 1965, for serial Number 7 to 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"7.	Barytes	Minimum of Rs. 50
8.	Red Oxide	Minimum of Rs. 50
9.	Yellow Ochre	Minimum of Rs. 50
10.	Steatite	Minimum of Rs. 50
11.	Feldspar	Minimum of Rs. 50."

[No. 60(48)/Exp. Insp./68.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1970

का० आ० 3271—निर्यात (गुण नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खनिजों और अयस्कों का निर्यात—ग्रुप 2 (निरीक्षण) नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम खनिजों और अयस्कों का निर्यात—ग्रुप 2 (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. खनिजों और अयस्कों का निर्यात—ग्रुप 2 (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 7 में क्रम संख्या 7 से 11 तक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

7. बैराइटीज	न्यूनतम 50/- रुपये
8. रैड आक्साइड	न्यूनतम 50 /- रुपये
9. पीत गैरिक	न्यूनतम 50/- रुपये
10. स्टिऐटाइट	न्यूनतम 50 /— रुपये
11. फैल्डस्पार	न्यूनतम 50/- रुपये

[सं० 60(48)/एक्सपो० इन्सपे०/68]

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970